

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 155/18
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए


निर्णय दिनांक:- 17-5-2018

प्रभु कौरा पि० जौतम :: निर्णय ::

प्रार्थी श्री ~~रेवारी नि० धाणी खार~~
जति ~~रेवारी उम्र~~ नि० ~~धाणी खार~~ तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक
अदाजत ~~भोजपुरा~~ दिनांक 17-5-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
111, 128 लो०२०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा ~~धाणी खार~~ पंचायत समिति ~~दोहरा~~
में स्थित खाता संख्या 52 पर आराजी नं० 210 कुल 0.3 बीघा
5 बिस्वा किता 1 योग रकबा 5 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि
कारत करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद
होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर
पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के
साथ अप्रार्थी ~~अरुण पि० जसाजी~~ नि० ~~धाणी खार~~ ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है।
प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम ~~धाणी खार~~ के खसरा नं० 139 रकबा 0.5
बीघा 16 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 16 बिस्वा की जमाबंदी सम्वत् 2012-75
की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी
प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार कारतकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का
कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा ~~धाणी खार~~ में स्थित
खाता संख्या 52 पर आराजी नं० 210 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 1
कुल रकबा 5 बिस्वा की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा ~~धाणी खार~~ में स्थित खाता संख्या 52 पर आराजी नं० 210
रकबा 0.5 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 0.5 बिस्वा विवादग्रस्त
आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक
के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी
की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू० 500/- प्रार्थी स्वयं
राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर